न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2808–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 380/2012–13.

बाबूलाल पिता नारायणजी सिरवी
निवासी रविदास मार्ग बदनावर
जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– हेमेन्द्र पिता भारतसिंह मोदी
2– अशोक पिता भारतसिंह मोदी
3– हेमन्त उर्फ पप्पी पिता भारतसिंह मोदी
4– योगेश पिता भारतसिंह मोदी
5– धीरज पिता भारतसिंह मोदी
6– श्रीमती रतनबाई पति भारतसिंह मोदी
निवासीगण ग्राम बखतगढ़
तहसील बदनावर जिला धार
7– धीरेन्द्र पिता भगवती लाल मोदी
निवासी 91, वेंकटेश नगर, इन्दौर
8– सरदार पिता भगवती लाल मोदी
निवासी काटजू नगर, रतलाम
9 बसन्त पिता भगवती लाल मोदी
निवासी शिक्षक कॉलौनी
कोमलसिंह जी का मकान नीमच
10– श्रीमती निर्मलाबाई पति पारसमल गेलड़ा
निवासी पानी की टंकी के पास
थावरिया, रतलाम
11– श्रीमती यशलता पति भगवती लाल मोदी
निवासी इन्दौर
12– श्रीमती सुनीता बाई पिता भगवती लाल मोदी
पति धर्मेन्द्र बापना
निवासी 20/12, मनोरमागंज इन्दौर
13– श्रीमती तेजकुंवर बाई पिता सजनसिंह मोदी
निवासी कोठारी भवन, रतनकुंड की गली
सीतामउ जिला इन्दौर
14– श्रीमती हेमलता सजनसिंह मोदी
निवासी बड़ा गणपति, इन्दौर

15– श्रीमती फूलकुंवर सजनसिंह मोदी पति चांदमल मुठा
निवासी पुराने पुलिस थाने के सामने
रायपुरिया जिला झाबुआ
16– श्रीमती राजलबाई पिता चिमनसिंह मोदी
निवासी बखतगढ़
तहसील बदनावर जिला धार
17– हिम्मतसिंह पिता सजनसिंह मोदी
निवासी सदर .....अनावेदकगण

श्री शाहिद बेग, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री रमेश कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क. 16 व 17

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हिम्मतसिंह द्वारा तहसीलदार बदनावर के समक्ष संहिता की धारा 178 एवं 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम बखतगढ़ स्थिति भूमि सर्वे कमांक 1045/1 रकबा 2.150 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 1048 रकबा 2.188 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 1047/1 रकबा 4.075 हेक्टेयर एवं 1176/587 रकबा 0.126 हेक्टैयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.539 हेक्टेयर का बटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–27/2005–06 दर्ज कर दिनांक 10–8–07 को बटवारा आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर भारतसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–5–08 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि हित रखने वाले सभी पक्षकारों को विधिवत् सूचना जारी कर संहिता की धारा 178, 109 व 110 में उल्लिखित नियमानुसार विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकाशन कर, साक्ष्य प्रमाण लिये जाकर विधिसम्मत् आदेश समयावधि में पारित किया जाये ।

तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर दिनांक 09–02–2010 को पुनः बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध भारतसिंह द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–11–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 09–02–2010 निरस्त किया गया एवं अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि महिला खातेदारों के हिस्से विधिनुसार पृथक से किये जाये । आलोच्य प्रकरण में विहित उपबंध व प्रकिया का पालन करते हुये विधिपूर्वक आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–7–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का केता है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय सीमा में अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अपील अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी होने पर उनके द्वारा तत्काल अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी और मात्र 18 माह का विलम्ब था और उक्त विलम्ब का सद्भाविक कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को अपील समय सीमा में मानकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा तकनीकी आधार पर अपील अग्राह्य करने से आवेदक के विरूद्ध घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध महिलाओं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है और वे तहसीलदार के आदेश से परिवेदित भी नहीं है । इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा महिला खातेदारों के

हिस्से पृथक किये जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है,क्योकि तहसील न्यायालय द्वारा महिलाओं की सहमति से ही बटवारा आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश· निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

तर्क के समर्थन में 2010 आर.एन.11, 1989 आर.एन. 14 एवं 1996 आर.एन. 33 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 16 एवं 17 की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को को समर्थन देते हुये मुख्य रूप से आधार उठाया गया है कि तहसीलदार द्वारा विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देते हुये बटवारा आदेश पारित किया गया है और महिला सहखातेदारों की शादी हो चुकी है एवं उन्हें हिस्से में नगद राशि प्राप्त हो गई है । यह भी आधार लिया गया है कि तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके मध्य पूर्व में मौखिक बटवारा हो चुका है, अतः स्वीकारोक्ति के विरूद्ध अनावेदकगण कथन नहीं कर सकते हैं ।

5/ शेष अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में दिनांक 10–8–2007 को प्रकरण में बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–5–2008 को आदेश पारित कर निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का विधि सम्मत् निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दिनांक 09–02–2010 को विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश से केवल भारतसिंह द्वारा व्यथित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को केवल भारतसिंह के संबंध में बटवारा आदेश का परीक्षण करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा महिलाओं के हिस्से पृथक नहीं होने के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–02–2010 निरस्त करते हुये महिला सह–खातेदारों के हिस्से पृथक करने का आदेश देने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि महिला सह–खातेदारों द्वारा तहसीलदार के आदेश को चुनौती नहीं देने से ऐसा परिलक्षित होता है कि वे तहसीलदार के आदेश से परिवेदित नहीं है और उनकी सहमति से ही आदेश पारित हुआ है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों में भी भारतसिंह द्वारा उक्त आशय की राहत नहीं चाही गई है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि एवं न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, यह निर्विवादित है कि आवेदक वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होकर हितबद्ध पक्षकार है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः जानकारी के दिनांक से उसके द्वारा समय सीमा में अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में अपर आयुक्त द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । वैसे भी अपील मात्र 18 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि वे प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुणदोष पर करते ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त होता । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–07–2013 अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2011 निरस्त किये जाकर तहसीलदार, बदनावर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–02–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर